तारीख हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व आवेदन संख्या 296/2022 अनवान पुरखा बनाम गोविन्दसिंह वगैराह

नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए

16/04/25

आदेश

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 05 उपस्थित, वकील अप्रार्थी संख्या 12 उपस्थित। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण मौजा लालाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1410/900 रकबा 0.8094 हैक्टयर व खसरा संख्या 1440/900 रकबा 0.1619 हैक्टयर भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील अप्रार्थी संख्या 12 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 1410/900 व 1440/900 की एकतरफा नेखमबन्दी करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। मौके पर कुड़ला गांव व बाडमेर आगोर गांव की सीमा आपस में ऑवरलेप है जिस कारण नेखमबन्दी आदेर्श पूर्व मौके की मौका रिपोर्ट तलब किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य पुरानी माठे व कणे आदि बने हुए है परन्तु प्रार्थी मौके पर सेढे व माठों को नही मान रहा है जबकि अप्रार्थी संख्सा 12 द्वारा 08.00 बीघा भूमि खरीद कर मौके पर काबिज है अप्रार्थी अपनी खरीदसुदा भूमि पर है परन्तु प्रार्थी, अप्रार्थी की भूमि में घुस रहा है। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब करवाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण ने अपनी मौका रिपोर्ट में अंकित किया कि मौजा लालाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1410/900 रकबा 0.8094 हैक्टयर व खसरा संख्या 1440/900 रकबा 0.1619 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में है तथा भूमि पर उक्त खसरे खाली है एव माठे बनी हुई है तथा रेकर्ड मे भी ख. स. 1410/900 खातेदार पुरखाराम पुत्र द्वारकाराम जाति नाई हि. 67/100 व ललीत कुमार पुत्र गोपालदास हि. 33/100 दर्ज है इन खसरो के पास मुरडिया रोड़ बना है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है जो उचित प्रतीत होता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब के सम्बन्ध में प्रार्थी के कब्जे से अधिक/कम रकबे का विवाद एवं सीमाओं का ज्ञान भूमि को नाप करने एवं नेखमबन्दी करने से उभय पक्षों का विवाद समाप्त हो सकता है। मुसकील बिन्दु से सीमांकन करते हुए प्रार्थी के खेत की नेखमबन्दी किया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया प्रार्थी मौजा लालाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 1410/900 रकबा 0.8094 हैक्टयर व खसरा संख्या 1440/900 रकबा 0.1619 हैक्टयर भूमि के मुसकील बिन्दु से सीमांकन करते हुए चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल-शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर